लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462021

कमांक / म.नी.प्र. / 40 / 2017 / 25 भोपाल दिनांक 07.5.18

प्रति,

1–संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, म0प्र0।
2–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश

विषयः– प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः–1–लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश का पत्र क0 म0नी0प्र0 / 40 / 2017 / 12 भोपाल,दिनांक–01.03.2018.

2–म0 प्र0 शासन, गृह विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल का पत्र कमांक / एफ / 12–124 / 17 / बी–1 / दो,दिनांक–16.11.17.

कृपया संदर्भित पत्रों के अनुकम में महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु वन–स्टॉप सेन्टर, महिलाओं के स्पेशल हेल्पलाईन नं. 1090 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एंव प्रतितोष) अधिनियम–2013 से संबंधित जानकारी संलग्न प्रेषित् है। जानकारी का प्रचार–प्रसार करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार,

अपर परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित,

7-5-18
उप संचालक
लोक शिक्षण,संचालनालय
मध्यप्रदेश

वन स्टॉप सेंटर (सखी)/उषा किरण योजना

केन्द्र प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर (सखी)/उषा किरण योजना (राज्य मद) अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेन्टर/उषा किरण केन्द्रों में उपलब्ध करायी जायेगी।

उदेश्य

- एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदाय करना।
- पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध करना, जैसे-चिकित्सा, विधिक, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि।

लक्षित समूह

- हिंसा से पीड़ित महिलायें, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित है, को सहायता प्रदाय करना।
- 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना।

[illegible] में महिलाओं के लिए 3 [illegible] सेंटर, सभी पर मिलेगी मदद

भोपाल। मध्यप्रदेश में महिलाओं को सभी प्रकार की सरकारी सहायता के लिए सखी सेंटर की स्थापना की जा रही है। यहां पर महिलाओं को हर तरह की मदद मिलेगी। यहां तक कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी उन्हे थाने नहीं जाना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 के अलावा महिलाएं 181 या 108 पर भी कॉल कर सकतीं हैं। तत्काल उनकी सुनवाई की जाएगी। महिला अपराधों से निपटने और पीड़िताओं को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए राजधानी में 24×7 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरों पर आने वाली महिलाओं की मदद की जाएगी। सरकार ने इसके लिए सीएम हेल्पलाइन 181, एंबुलेंस सर्विस 108 और 1090 को आपस में जोड़ दिया है।

मंगलवार को मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यहां पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अभियोजन शाखा के समन्वय से चल रहा है। घरेलू हिंसा की शिकार, दुष्कर्म पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम, अपहृत या पुलिस को मिलने वाली लावारिस महिलाओं को सखी सेंटर में रखा जा रहा है।

यहां पर आने वाली महिलाओं को न थाने जाना पड़ेगा, न अस्पताल जाना होगा, न वकील और महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने होंगे। महिलाओं को सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे मिल जाएगी।

पीड़ित की एफआइंआर सेंटर पर ही लिखी जाएगी। डीआईआर (डोमेस्टिक इन्फॉरमेशन रिपोर्ट) भी सेंटर पर तैयार की जाती है। मेडिकल जांच, आपात स्थिति में रहने, खाने और इलाज की सुविधा इसी सेंटर पर दी जाती है। महिला को कानूनी सलाह के लिए लीगल एड के माध्यम से सेंटर पर ही वकील उपलब्ध रहेगा। पीड़ित महिलाओं के लिए सेंटर पर सभी प्रकार की सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क रहेंगी

महिलाओं के [redacted] हेल्पलाइन, मुसीबत में हो तो डायल करें 1090

मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर राज्य स्तरीय महिला अपराध हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जिसका फोन नम्बर 1090 है. इस नम्बर पर कहीं से भी कॉल किया जा सकता है. कॉल मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल सहायता मुहैया कराई जाती है.

मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर राज्य स्तरीय महिला अपराध हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जिसका फोन नम्बर 1090 है. इस नम्बर पर कहीं से भी कॉल किया जा सकता है. कॉल मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल सहायता मुहैया कराई जाती है.

प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक महिला अपराध के मुताबिक महिला अपराध हेल्पलाइन की स्थापना महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई व तत्काल सहायता के मकसद से स्थापित की गई है. इस हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है. साथ ही 24 घण्टे में फीडबैक भी लिया जाता है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)

अधिनियम—2013

प्रशिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका (मेनुअल)

सहयोग

डॉ. राका आर्या

अध्यक्ष

जेण्डर एवं स्वास्थ्य कानून केन्द्र

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय

भोपाल

द्वारा

संचालनालय, महिला सशक्तिकरण

महिला एवं बाल विकास विभाग

2015

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम – 2013

प्रशिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका (मेनुअल)

सहयोग

डॉ. राका आर्या

अध्यक्ष

जेण्डर एवं स्वास्थ्य कानून केन्द्र

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय

भोपाल

द्वारा

संचालनालय, महिला सशक्तिकरण

महिला एवं बाल विकास विभाग

2015

विषय-वस्तु

क्र. (1)	विषय-वस्तु (2)	पृष्ठ (3)
1.	कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का क्रमांक 14).	1
2.	नियम पुस्तिका के उद्देश्य	2
3.	प्रशिक्षण का उद्देश्य	3
4.	प्रशिक्षकों से अपेक्षाएं	4
5.	प्रशिक्षण की योजना	5
6.	प्रशिक्षण सत्रों का कार्यक्रम एवं विवरण-प्रारंभिक सत्र—	6
7.	प्रथम तकनीकी सत्र ''जेण्डर'' को समझना	7
8.	द्वितीय तकनीकी सत्र— ''कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013''	8
9.	तृतीय तकनीकी सत्र— स्थानीय परिवाद समिति (L.C.C.) एवं आन्तरिक परिवाद समिति (I.C.C.) की भूमिका का महत्व.	9
10.	प्रारंभिक सत्र के लिए नमूना प्रश्न	10
11.	जेंडर एवं लिंग के बीच अन्तर पर प्रश्नावली	11
12.	समस्या/वाद अध्ययन नमूना-1	12
	समस्या/वाद अध्ययन-2	13
	समस्या/वाद अध्ययन-3	14
	समस्या/वाद अध्ययन-4	15
13.	प्रशिक्षकों के लिए सुझाव	16
14.	कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के मुख्य बिन्दु	17–19
15.	आंतरिक परिवाद समितियों का गठन	20–38

कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम – 2013

(2013 का क्रमांक 14)

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम–

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समानता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, का उल्लंघन होता है ।

लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है।

नियम पुस्तिका के उद्देश्य –

इस नियम पुस्तिका को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर प्रशिक्षकों को सुगम एवं प्रभावशाली ढंग से प्रशिक्षण सम्पन्न करने में सहायता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नियम पुस्तिका विभिन्न उपागम प्रस्तुत करती है। प्रशिक्षक अपनी तकनीकों एवं प्रविधियों को प्रशिक्षण देने के दौरान आवश्यक होने पर इस विशिष्ट उपागम के साथ मिला सकते हैं प्रशिक्षकों को सहभागियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान मे रखना चाहिए।

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये आवश्यक है कि प्रशिक्षक केन्द्रित तथा संक्षेप रूप में प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण का प्रथम पहलू है लिंग भेद पर चर्चा करना, जो कि सहभागियों के साथ किए जाने वाला मूल कार्य है तथा उन्हें उसका सही दृष्टिकोण समझाना है।

द्वितीयतः सहभागियों के साथ कानून पर व्यापक एवं स्पष्ट रूप से चर्चा हो। प्रक्रिया भागीदारी परख हो।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा पहलू होगा, समितियों की भूमिकाओं एवं प्रक्रियाओं को समझना ताकि यौन उत्पीड़न की समस्या का समाधान हो सके। समितियाँ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अति आवश्यक है।

प्रशिक्षण एवं नियमावली का आयोजन एवं तैयारियाँ संचालनालय महिला सशक्तिकरण के सहयोग से हो रहा है।

यह नियमावली दो भागों में बांटी गयी है उनमें से पहला भाग प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों के लिए निर्देशिका एवं दूसरा भाग में उनके लिए अधिनियम एवं नियम दिए गए हैं।

प्रशिक्षण के उद्देश्य –

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार है –

- प्रतिभागियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वे अपना कार्य कुशलता पूर्वक, प्रभावशाली ढ़ंग से संवेदनशीलता एवं समझदारी के साथ प्रदर्शित कर सकें।
- प्रतिभागियों के ज्ञान को समृद्ध एवं समझ में वृद्धि करना, लैंगिक भिन्नता तथा जेंडर के मुद्दों को समझना ।
- प्रतिभागियों को "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उद्देश्य, कानून की पृष्ठभूमि एवं उपयोगिता के बारे में चर्चा कर जानकारी देना।
- कार्यस्थल को अधिनियम द्वारा निर्मित सकारात्मक वातावरण को नष्ट करने वाले लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को सुलझाने वाली समितियों की कार्यप्रणाली की बारीकियों को परस्पर समझना तथा कार्य स्थल पर सामंजस्य स्थापित करना।
- यह समितियों के सदस्यों की भूमिका को मजबूत करने में तथा अधिनियम के अन्तर्गत कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या के निराकरण में मदद करेगा।
- स्वस्थ समाज एवं विकास प्रक्रिया के लिए हिंसा मुक्त कार्यस्थल के महत्व एवं आवश्यकता पर जोर देना।
- प्रशिक्षण के अन्त में प्रतिभागियों को कानून के अन्तर्गत उनके कर्तव्यों एवं भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

प्रशिक्षकों से अपेक्षायें –

- अधिनियम के बारे में स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी देना, उनके द्वारा दी गई जानकारी प्रतिभागियों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।
- प्रशिक्षण सहभागी तरीके से देना – सत्र को अधिक से अधिक सहभागिता पूर्ण बनायें ताकि प्रतिभागी लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों को सुलझाने में (अधिक से अधिक) अपने दृष्टिकोण एवं विचारों को रखने के लिए प्रोत्साहित हों। लैंगिक उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, इसलिए समिति के सदस्यों के विचार एवं ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह उत्पीड़न के निराकरण के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं।
- सम्बन्धित मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए वह मापांक चुन सकते हैं।
- उन्हें, प्रतिभागियों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, उन्हें अन्य प्रतिभागियों के बीच समानता एवं समझ बनाए रखना चाहिए। चूँकि लैंगिक उत्पीड़न एक संवेदनशील मुद्दा है, अतः प्रशिक्षक को उनमें एकरूपता बनाए रखने की भूमिका निभानी है।
- एक प्रशिक्षक, प्रशिक्षण देने के लिए विविध प्रकार की विधियों को अपना सकता है जैसे समस्या/वाद अध्ययन, समूह चर्चा, लघु वृत्तिकायें दिखाना या पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन तथा इसी प्रकार से अन्य।

प्रशिक्षण की योजना –

एक दिवसीय प्रशिक्षण एक प्रारंभिक तथा तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित होगा।

यह एक दिवसीय सत्र कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता पर केन्द्रित होगा।

पहला तकनीकी सत्र "जेन्डर को समझना" (Understanding Gender) जेन्डर एवं लिंग के सामाजिक एवं प्राकृतिक

दूसरा तकनीकी सत्र "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोष,) अधिनियम, 2013" पर आधारित होगा। इस सत्र में अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की जायेगी।

तीसरा तकनीकी सत्र अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समितियों (आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति) की भूमिका पर होगा। आंतरिक परिवाद समिति तथा स्थानीय परिवाद समिति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अन्त में पुनर्निवेशन (feed back) सत्र होगा, इसमें प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के बारे में उनके विचार जाने जायेंगे, जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि प्रशिक्षण अपने लक्ष्य को पाने में कितना सफल रहा । प्रतिभागी अन्त में मुद्दों पर आपस में विचार/चर्चा कर सकते हैं।

प्रशिक्षण सत्र का कार्यक्रम एवं विवरण –

प्रारंभिक सत्र –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य एवं कार्य योजना के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा की जायेगी, जैसे कि लिंग एवं जेंडर पर उनके विचार, लैंगिक उत्पीड़न की समस्या के निराकरण में सम्बन्धित कानूनों की महत्ता तथा समितियों का समस्या का समाधान निकालने की एक प्रविधि के रूप में महत्ता ।
- यह सत्र सहभागी होगा तथा कार्यस्थल को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले मूल मुद्दों पर प्रतिभागियों के विचार को समझने में सहायता करेगा।
- विषय विशेषज्ञों द्वारा अपना परिचय दिया जायेगा, इससे विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों में निकटता बढ़ेगी।
- प्रतिभागी भी आपस में एक–दूसरे का परिचय प्राप्त करेंगे, इससे उन्हें एक दूसरे के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान होगा।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि तथा आवश्यकता पर चर्चा की जावेगी।
- उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा होगी। यह सत्र निर्माण करने वाला होगा।

प्रणाली (Modality) –

- एक संक्षिप्त तथा बिंदुवार **विषय पर आधारित प्रश्नावली**, प्रतिभागियों के बीच वितरित की जायेगी।
- उनके द्वारा प्रश्नावली भरने के बाद, या तो सीधे उनकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित चर्चा होगी या प्रतिभागियों के द्वारा दिए गए उत्तरों के सार के आधार पर।
- वृत चित्र (Documentary) दिखाई जा सकती है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं अन्य विवरण पर चर्चा के लिए पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन, प्रविधि भी हो सकती है।

समयावधि **30 मिनट**

प्रथम तकनीकी सत्र "जेंडर" (Gender) को समझना –

उद्देश्य –

- जेंडर (Gender) एवं लिंग (Sex) विभेदीकरण के मूल को समझना।
- जेंडर (Gender) एवं लिंग (Sex) के बारे में प्रतिभागियों से जानकारी साझा करना । लैंगिक उत्पीड़न की धारणा को समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है।
- जेंडर (Gender) एवं लिंग (Sex) के बीच संबंध पर प्रतिभागियों के ज्ञान के बारे में जानना अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अति आवश्यक है।

प्रणाली (Modality) –

- लिंग और जेंडर पर समाज में व्याप्त पूर्वधारणाओं तथा काल्पनिक व वास्तविकताओं पर आधारित एक प्रश्नावली प्रतिभागियों को दी जाए तथा जैसे ही प्रतिभागी उसे पूरा करे, उसका उत्तर दें, उस पर चर्चा की जाए।
- प्रश्नावली पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिखाई जा सकती है, जब कि प्रत्येक प्रश्न के पश्चात् प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं पर एक एक कर संक्षिप्त चर्चा होगी।
- जेंडर (Gender) एवं लिंग (Sex) के भेदभाव discrimination की काल्पनिक स्थितियों को प्रतिभागियों के बीच, उनकी प्रतिक्रियायें जानने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, उनकी प्रतिक्रियायें प्राप्त होने के बाद फिर चर्चा होगी।
- जेंडर (Gender) एवं लिंग (Sex) पर प्रतिभागियों के ज्ञान को समझने के लिए भूमिका निभाना एक महत्वपूर्ण प्रविधि सिद्ध हो सकती है।
- मुद्दे पर प्रतिभागियों से चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

पुनर्निवेशन (Feed-back) एवं प्रश्न उत्तर सत्र –

प्रशिक्षकों एवं सत्र पर पुनर्निवेशन/मूल्यांकन (Feed back) देना।

समयावधि

60 मिनट

द्वितीय तकनीकी सत्र –

"कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013"

- प्रतिभागियों को कानून के बारे में जानकारी देना, उसके पश्चात् कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर चर्चा होगी।
- अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित महिलाओं, नियोक्ता, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, उपचार, स्थानीय परिवाद समिति एवं आन्तरिक परिवाद समिति आदि के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देना।

प्रणाली (Modality) –

- लैंगिक उत्पीड़न पर काल्पनिक स्थिति पर चर्चा।
- भूमिका निभाना एक और प्रविधि हो सकती है।

समयावधि –

90 मिनट

तृतीय तकनीकी सत्र –

स्थानीय परिवाद समिति (L.C.C.) एवं आन्तरिक परिवाद समिति (I.C.C.) की भूमिका का महत्व

- अधिनियम के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न की समस्या के विरूद्ध परिवाद के लिए स्थानीय परिवाद समिति एवं आन्तरिक परिवाद समिति बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है।
- प्रतिभागियों को इन समितियों के उद्देश्य, अधिकार एवं कार्यों के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए।

प्रणाली (Modality) –

- समस्या अध्ययन (Case Studies) तथा काल्पनिक स्थितियों के बारे में भी चर्चा करना।
- भूमिका निर्वहन
- सामूहिक चर्चा
- महत्वपूर्ण निर्णयों (Judgements) को प्रतिभागियों से साझा करना।

समयावधि – 90 मिनट

चर्चा एवं मूल्यांकन (Feedback) का सत्र –

प्रारंभिक सत्र के लिए नमूना प्रश्न

प्रतिभागियों की मानसिकता (Mind set) को समझने के लिए कुछ मानक रूढ़िवादी प्रश्नों की चर्चा प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों से की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिभागियों के मस्तिष्क में गहरी जमी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन हो सके।

प्र.1 महिलाओं का पहनावा लैंगिक उत्पीड़न के लिए एक जिम्मेदार है ?

प्र.2 महिलाऐं कानून का दुरूपयोग करती हैं ?

प्र.3 महिलायें झूठी शिकायतें दर्ज कराती हैं ?

प्र.4 महिलायें, महिलाओं की दुश्मन होती हैं ?

प्र.5 पुरूष कमाई करते हैं, महिलायें घर बनाती हैं ?

जेंडर (Gender) एवं लिंग (Sex) के बीच अन्तर पर प्रश्नावली

कुछ नमूना प्रश्न – (प्रथम तकनीकी सत्र के)

(i) छोटी लड़किया कोमल होती हैं, लड़के सुदृढ़ (मजबूत) होते हैं (G)

(ii) स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं, पुरूष नहीं (S)

(iii) स्त्रियां बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, पुरूष बोतल से बच्चे को दूध पिलाते हैं। (S)

(iv) स्त्रियां रो लेती हैं, पुरूष नहीं रोते (G)

(v) वयः संधि में पुरूषों की आवाज बदल जाती है, स्त्रियों की नहीं। (S)

(vi) स्त्रियां शान्त होती हैं, पुरूष गर्म मिजाज होते हैं (S)

(vii) लड़कियां गुड़ियाओं को पसन्द करती हैं, लड़के कारों को पसंद करते हैं (G)

समस्या/वाद अध्ययन नमूना –1

एक 24 वर्षीय छात्रा महानगर स्थित नामी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से उसी विश्वविद्यालय के 56 वर्षीय प्रोफेसर के निर्देशन में पी.एच.डी. (शोध कार्य) कर रही है।

शोध कार्य पर चर्चा करने तथा कार्य की प्रगति को जांचने के लिए प्रोफेसर उस छात्रा को अपने घर बुलाते हैं, विशेषकर जब घर पर कोई नहीं होता। फिर कभी वह अपने कार्यालय में बुलाते हैं, जब वहां कोई नहीं होता। उसके शोध कार्य पर चर्चा के दौरान प्रोफेसर साहब उसके गालों को स्पर्श करते हैं, अपना हाथ उसके कंधों पर रखते, कभी कभी उसकी सुन्दरता की प्रशंसा करते हैं।

क्या आपको दरिष्ठ प्रोफेसर के इस प्रकार के व्यवहार में कुछ गलत लगता है ?

भूमिका का निर्वहन –रोल प्ले

इस प्रकरण में – समस्या बाद अध्ययन पढ़ा जा सकता है तथा प्रतिभागियों से चर्चा हो सकती है या प्रतिभागियों द्वारा नाटक खेला जा सकता है। प्रशिक्षक प्रतिभागियों की स्वेच्छा से या स्वयं प्रतिभागियों को छात्रा एवं प्रोफेसर की भूमिका निर्वहन के लिये नामांकित करेगा।

प्रयोग के उद्देश्य

ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित कानूनों को पहचानना। इसके लिए **अपराधियों के तरीकों को समझना ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके ताकि पुर्नावृत्ति न हो।**

प्रणाली –

विशेषज्ञ/प्रशिक्षक को चर्चा के परिणामों को बोर्ड पेन से फ्लिप चार्ट पर लिपिबद्ध करना चाहिए।

प्रतिभागियों के द्वारा किए गए संप्रेक्षण को सभी को देखना चाहिए।

इस प्रयोग के बाद प्रशिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की जानी चाहिए।

इस प्रयोग से प्रतिभागियों की सोच का तरीका पता लगाने में सहयोग होगा।

समस्या/वाद अध्ययन –2

X नामक लड़की मूनलाइट नामक सरकारी प्रतिष्ठान में कनिष्ठ कर्मचारी है, वह इस प्रतिष्ठान में 5 वर्षों से कार्य कर रही है। Y नामक युवक भी इसी मूनलाइट प्रतिष्ठान में 10 वर्षों से काम कर रहा है। Y नामक युवक X नामक लड़की से वरिष्ठ है। शुरूआत में Y नामक (युवक) X लड़की से मित्रवत था। बाद में X लड़की ने Y युवक के विरूद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करना शुरू कर दिया। लड़की के अनुसार युवक उसे अपने कमरे पर बुलाता है तथा अश्लील चित्र दिखाता है। एक दिन उस युवक ने लड़की को कार्यालय में रूक कर अपूर्ण काम पूरा करने को कहा। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी वरिष्ठता का हवाला देकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब वह (X) कम्प्यूटर पर काम कर रही थी वह लड़का (Y) पीछे से आया, लड़की (X) जब उठने लगी तो लड़के (Y) ने उसे कुर्सी पर बैठे रहने के लिए उसे धक्का दिया, जब लड़की (X) ने उस युवक (Y) से छुटकारा पाने की कोशिश की तो लड़के (Y) ने उसके हाथ पकड़ लिए, किन्तु अन्त में लड़की (X) अपने को छुड़ाकर चली गयी।

रोल प्ले–(भूमिका का निर्वाहन)

शिकायत को देखते हुए प्रतिभागियों द्वारा मुद्दे को कैसे समझेंगे एवं सुलझायेंगे। प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को समूहों में बांट देना चाहिए।

प्रयोग के उद्देश्य

ऐसे अपराधों को रोकना ताकि कभी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए अपराधियों के व्यवहार के तरीकों एवं ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित कानूनों को पहचानना।

प्रणाली –

विशेषज्ञ/प्रशिक्षक चर्चा के परिणाम को बोर्ड या पेन से फ्लिप चार्ट पर लिपिबद्ध करेंगी।

प्रतिभागियों के द्वारा किए गए संप्रेक्षण को सभी को देखना

इस प्रयोग के बाद प्रशिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण एवं चर्चा की जानी चाहिए।

इस प्रयोग से प्रतिभागियों की सोच का तरीका पता लगाने में सहयोग मिलेगा।

समस्या/वाद अध्ययन–3

X नामक लड़की एक निजी प्रतिष्ठान 'सन' में कनिष्ठ कर्मचारी है, Y नामक व्यक्ति उस प्रतिष्ठान का अध्यक्ष है, 'सन' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब X अपने कमरे से कुछ कागज लेने जा रही थी उसे रास्ते में Y मिला और उसने X का रास्ता रोक लिया तथा उसे चूमना दुलारना शुरू कर दिया। जब लड़की X ने उसका विरोध किया तो अध्यक्ष Y ने लड़की को धमकाते हुए कहा कि यदि वह उसे सहयोग नहीं करेगी तो उसकी नौकरी चली जावेगी। इसके बाद भी X उसको दूर धकेलते हुए भाग गयी। X ने आन्तरिक परिवाद समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करायी किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

(X) को परामर्श दें – उसे समाधान पाने के लिए क्या करना चाहिए ?

भूमिका का निर्वहन –रोल प्ले

शिकायत को देखते हुए प्रतिभागी इसे कैसे समझेंगे व इसका समाधान करेंगे। प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को समूह में बांटाना होगा।

प्रयोग के उद्देश्य

ऐसे अपराधों को रोकना ताकि कभी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए अपराधियों के व्यवहार के तरीकों एवं ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित कानूनों को पहचानना।

प्रणाली –

विशेषज्ञ/प्रशिक्षक को राइटिंग पटल या पेन से फिलप चार्ट पर हुयी चर्चा के परिणाम को लिपिबद्ध करना चाहिए।

प्रतिभागियों के द्वारा किए गए संप्रक्षेण को सभी को देखना चाहिए।

इस प्रयोग के बाद प्रशिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की जानी चाहिए।

इस प्रयोग से प्रतिभागियों की सोच का तरीका पता लगाने में सहयोग होगा।

X नामक लड़की एक गैर सरकारी संगठन में समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। एक बार समाज सेवा के दौरान उस बस्ती के WYZ नामक प्रभावशाली व्यक्तियों को उस लड़की (X) का काम पसंद नहीं आया तथा WYZ ने लड़की X तथा फिर उस अशासकीय संगठन में समाज सेवा का कार्य करने से रोका अन्यथा इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लड़की ने उन तीनों की गंभीर धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन WYZ ने उसको अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी तथा गालियां दी। थोड़ी देर के बाद लड़की X ने उन लोगों से अपने आपको छुड़ाया और भाग गयी।

लड़की X को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकरण में क्या किया जाना चाहिए ?

भूमिका का निर्वहन –

इस प्रकरण में शिकायत को देखते हुए प्रतिभागी इसे कैसे समझेंगे तथा कैसे इसका निराकरण करेंगे। प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को समूह में बांटना होगा।

प्रयोग के उददेश्य

ऐसे अपराधों को रोकना ताकि अभी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए अपराधियों के व्यवहार के तरीकों एवं ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित कानूनों को पहचानना।

प्रणाली–

विशेषज्ञ / प्रशिक्षक को चर्चा के परिणाम बोर्ड पर या पेन से फ्लिप चार्ट लिपिबद्ध करना चाहिए।

प्रतिभागियों के द्वारा किए गए (संप्रेक्षण) को सभी को देखना चाहिए।

इस प्रयोग के बाद प्रशिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की जानी चाहिए।

इस प्रयोग से प्रतिभागियों की सोच का तरीका पता लगाने में सहयोग होगा।

प्रशिक्षकों के लिए सुझाव–

सभी 4 समस्या/वाद अध्ययनों को एक साथ लेकर प्रतिभागियों के समूहों में बांटे या प्रशिक्षक द्वारा उन प्रकरणों को पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से पर्दे पर दिखा कर चर्चा करें।

प्रशिक्षक चर्चा के दौरान तथा प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के दौरान संकेतो को पहचाने है तथा उन पर विस्तार के साथ चर्चा करें।

प्रशिक्षक को समय प्रबंधन भी करना चाहिए।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों के बीच साम्य एवं शिष्टाचार को व्यवस्थित रखें तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए समान समय मिले।

अभ्यास के लिए बनाए गए नियमों को प्रशिक्षक प्रतिभागियों को समझायेंगे तथा उन्हें बोर्ड पर लिखेंगे।

कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का उद्धरण –

जैसे कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर, उच्चतम न्यायालय, 1997

कार्य स्थल पर महिलाओं पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम – 2013 के मुख्य बिन्दु

यहाँ केवल मुख्य बिन्दु दिए गए है विस्तार के साथ इन्हें अधिनियम में पढ़ा जा सकता है। इससे प्रशिक्षकों एवं सहभागियों को प्रावधानों के बारे में सुगमता से जानने में सहायता मिलेगी। नियमावली (Manual) के साथ अधिनियम एवं नियमों की प्रति वितरित की जावेगी।

परिभाषा :–

व्यथित महिला (Aggrieved Women)–

S. 2(क) पीड़ित (व्यथित) महिला का अर्थ –

(i) कार्य स्थल के सम्बन्ध में किसी भी आयु की महिला चाहे वह कर्मचारी हो या न हो।

(ii) निवास स्थान या घर के सम्बन्ध में, निवास स्थान या घर पर कार्यरत किसी भी आयु की महिला।

उपयुक्त शासन –(समुचित सरकार)

S.2(ख) **उपयुक्त शासन का अर्थ**–

(i) कार्य स्थल के सम्बन्ध में जो कि शासन द्वारा स्थापित, नियंत्रित या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हो।

(अ) केन्द्रीय सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा, केन्द्र सरकार ।

(ब) राज्य सरकार द्वारा, स्थापित स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वित्तपोषित राज्य सरकार

(ii) कोई भी कार्य स्थल जो कि खण्ड स्तर के अन्तर्गत नहीं आता तथा उस राज्य के क्षेत्र में आता है तो राज्य सरकार।

(स) अध्यक्ष (Chair Person) का अर्थ है स्थानीय शिकायत समिति धारा 7 की उपधारा (1) के आधीन का अध्यक्ष।

(स) जिला अधिकारी– अधिकारी जो S.5. के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया हो ।

1. घरों पर काम करने वाले
2. कर्मचारी
3. नियोक्ता
4. आन्तरिक परिवाद समिति का अर्थ है, आन्तरिक शिकायत समिति S.4
5. स्थानीय परिवाद समिति का अर्थ है स्थानीय शिकायत समिति S.6
6. सदस्य–आन्तरिक परिवाद समिति या स्थानीय समिति का सदस्य।

पीठासीन अधिकारी का अर्थ है– S.4 के Sub-section (2) के अन्तर्गत नामांकित आन्तरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी।

7 Respondent का अर्थ है जिस व्यक्ति के खिलाफ व्यथित (Aggrieved) महिला ने उप धारा 9 के अन्तर्गत शिकायत की हो।

8 लैंगिक उत्पीड़न में नीचे दिए गए एक या अधिक अवांछित कृत्य या व्यवहार (चाहे सीधे या Implication द्वारा) सम्मिलित हैं –जैसे कि –

(i) शारीरिक स्पर्श या और अधिक या
(ii) लैंगिक सहयोग के लिए निवेदन करना या उसकी मांग करना
(iii) अश्लीलता से भरे फिकरे कसना या
(iv) अश्लील चित्र दिखाना या
(v) अन्य कोई अश्लील प्रकृति का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक कृत्य।

9 कार्य स्थल (अधिनियम की प्रति में विस्तार से देखें)

10 असंगठित क्षेत्र(Unorganised Sector)(अधि. की प्रति में विस्तार से देखें)

S.3 लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम।

S.4 आन्तरिक शिकायत समिति (ICC) का संविधान।

S.5 स्थानीय शिकायत समिति (LCC) की अधिसूचना।

S.6 स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का संविधान एवं कार्यक्षेत्र।

S.7 स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का संघटन, अवधि एवं नियम एवं शर्तें।

S.9 शिकायत (लैंगिक उत्पीड़न की)

S.10 सुलह/समाधान (Conciliation)

S.11 शिकायत के सम्बन्ध में पूछताछ (जांच)

S.12 पूछताछ (जांच) लंबित होने की अवधि में किया गया कार्य।

S.13 पूछताछ (जांच) प्रतिवेदन

S.14 झूठी एवं गढ़ी गई शिकायत या झूठे प्रमाणों पर दण्ड।

S.15 मुआवजे का निर्धारण।

S.16 शिकायत के जाने गए तथ्यों एवं जांच सम्बन्धी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक।

S.17 जांच सम्बन्धी कार्यवाही के द्वारा जाने गए तथ्यों के प्रकाशन पर Penalty.

S.18 अपील

S.19 नियोक्ता के कर्तव्य

S.20 जिला अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य।

S.21 समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन।

S.22 वार्षिक प्रतिवेदन में नियोक्ता द्वारा सूचनायें सम्मिलित करना।

S.23 निगरानी लागू करना एवं आंकड़ो को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त शासन।

S.24 अधिनियम को प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम या ली गई सावधानियां।

S.25 सूचनाओं एवं निरीक्षण के लिए अभिलेखों को बुलाने के अधिकार।

S.26 अधिनियम के प्रावधानों के पालन न करने पर Penalty.

S.27 न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान।

S.29 उपयुक्त शासन द्वारा नियम बनाने के अधिकार।

S.30 कठिनाइयों को दूर करने के अधिकार।

आंतरिक परिवाद समितियों का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन— (1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा " आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा :

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय, या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न–भिन्न स्थानों या खंडीय या उपखंडीय स्थलों पर स्थित हैं, वहाँ आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यस्थलों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समितियाँ नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेंगी, अर्थात् :—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी :

परंतु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा :

परंतु यह और कि कार्यस्थल के ऐसे अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्देशित किया जाएगा।

(ख) कर्मचारियों में से दो अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

(ग) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसा एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो :

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पदधारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त सदस्य को, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते संदत्त किये जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,–

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है;या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध या उसके विरूद्ध जॉच लंबित है ; या

(ग) वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाता है या उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है;

(घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है,

वहॉ, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशिन द्वारा भरा जाएगा।

स्थानीय शिकायत (परिवाद)समिति

S.5 जिला अधिकारी की अधिसूचना –

कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 में उपयुक्त शासन जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश को प्रत्येक जिले में अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्यों के निर्वहन एवं अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिसूचित करेगा।

S.6 स्थानीय शिकायत समिति का संविधान एवं कार्यक्षेत्र –

(1) प्रत्येक जिलाधिकारी सम्बन्धित जिले में एक लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन करेंगे, जो **"स्थानीय शिकायत समिति"** के नाम से जानी जायेगी। जो उन स्थापनाओं जहॉ कर्मचारियों की संख्या दस से कम हो या शिकायत खुद नियोक्ता के खिलाफ हो तथा वहॉ आन्तरिक शिकायत समिति गठित नहीं हों।

(2) जिला अधिकारी ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड, तालुका एवं तहसील में तथा नगरीय क्षेत्र नगर पालिका या वार्ड में शिकायतें प्राप्त करने के लिए तथा उसे 7 दिनों की समयावधि में सम्बन्धित स्थानीय शिकायत समिति को अग्रेषित करने के लिए एक नोडल आफीसर को पदस्थ करेंगे।

(3) स्थानीय शिकायत/परिवाद समिति का कार्य क्षेत्र जिले की उस सीमा तक होता है जहॉ उसे गठित किया गया है।

S.7 स्थानीय शिकायत समिति का गठन और उसकी अधिकारिता –

(1) स्थानीय परिवाद समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा नामांकित किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं –

(अ) सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं महिलाओं के कार्यों के लिए समर्पित महिलाओं में से अध्यक्ष को नामांकित किया जायेगा।

(ब) जिले में नगर पालिका या वार्ड या विकास खण्ड तालुका या तहसील में कार्यरत महिलाओं में से एक सदस्य नामांकित किया जायेगा।

(स) दो सदस्य जिनमें से कम से कम एक महिला ऐसे गैर शासकीय संगठन या महिलाओं के हितों के लिए काम के लिए समर्पित संस्था या लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों का जानकार व्यक्ति हो सकता है।

(द) इसके अतिरिक्त कम से कम एक कानून की पृष्ठभूमि अथवा कानून के जानकारी वाले व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त नामांकित सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य होगी जो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्प संख्यक समुदाय से होगी।

नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मुद्दों का जानकार व्यक्ति –

S.7 के उपखण्ड (C) के उद्देश्य के लिए लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित जानकार व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसे लैंगिक उत्पीड़न के मामलों (मुद्दों) पर विशेषज्ञता (महारत) प्राप्त हो, वह निम्न में से कोई हो सकता है –

(अ) एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे महिला सशक्तिकरण हेतु अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों के सृजन के नेतृत्व का एवं विशेष रूप से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का मुकाबला करने सम्बन्धी कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो।

(ब) वह व्यक्ति जो श्रम, सेवा, सिविल या अपराधिक कानूनों का जानकार हो।

(स) सम्बन्धित अधिकारी जो जिले में समाज कल्याण या महिला एवं बाल विकास के कार्यों से जुड़ा हो, पदेन सदस्य होगा।

(2) स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनकी नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा जैसा कि जिला अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया हो –

(3) जब समिति का अध्यक्ष या सदस्य –

(अ) धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन या

(S.16 शिकायत के ज्ञात तथ्यों एवं जांच (पूछताछ) की कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक)

(ब) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या उसके विरूद्ध किसी भी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए कुछ समय के लिए जांच लंबित हो, या

(स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया हो या उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो या

(द) कार्यालय में अपनी सेवाओं की स्थिति की निरंतरता के लिए जनहित में भला बुरा कहा गया हो।

ऐसे अध्यक्ष या सदस्य जो भी हो, को समिति से हटा दिया जायेगा तथा इस प्रकार जो स्थान रिक्त होगा या अन्य कोई स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होगा, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार नये नामांकन से भरे जायेंगे।

(4) उप धारा (1) के खण्ड (ब) एवं (द) के अन्तर्गत नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष या सदस्य स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष या सदस्य स्थानीय शिकायत समिति की कार्यवाही को नियंत्रित रखने के लिए शुल्क या भत्ता जो भी निर्धारित हो के लिए पात्र होगा (S.2(K)) निर्धारित से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित)

नियम–5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए शुल्क या भत्ते –

(1) स्थानीय समिति के अध्यक्ष को उक्त समिति की कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए रू. 250/– प्रतिदिन भत्ते की पात्रता है।

(2) धारा S.7 के उपखण्ड (1) के खण्ड (ब) एवं (द) के अन्तर्गत नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त स्थानीय समिति के सदस्यों को उक्त समिति की कार्यवाही करने के लिए रू. 200/– प्रतिदिन भत्ता एवं 3 टियर ए.सी. द्वारा रेल का तथा ए.सी. बस में यात्रा करने तथा आटो रिक्शा एवं टैक्सी तथा यात्रा पर उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय, जो भी कम हो की यात्रा व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की पात्रता है।

उपनियम (1) एवं (2) उल्लेखित भत्तों के भुगतान के लिए जिला अधिकारी जिम्मेवार होंगे।

S.8 अनुदान एवं संपरीक्षा –

(1) केन्द्र सरकार इस पक्ष में विधि द्वारा संसद द्वारा उपयुक्त स्वीकृति (Appropriation) प्राप्त करने के उपपत्र, राज्य सरकार को इस कार्य के लिए जो भी उपयुक्त समझे S.7 के

उपखण्ड (4) में उल्लेखित शुल्कों एवं भत्तों के भुगतान में उपयोग के लिए केन्द्र सरकार जो भी उपयुक्त समझेगी एक मुश्त राशि का भुगतान करेगी।

(2) राज्य सरकार इसके लिए एक एजेन्सी की स्थापना कर उप–खण्ड (1) के अन्तर्गत अनुदान उस ऐजेन्सी को स्थानान्तरित कर सकती है।

(3) वह ऐजेन्सी धारा S.7 के उपखण्ड (4) में उल्लेखित शुल्कों एवं भत्तों के भुगतान के लिए चाही गयी आवश्यक एक मुश्त राशि का भुगतान जिला अधिकारी को करेगी।

(4) उपखण्ड (2) में उल्लेखित ऐजेन्सी का लेखा राज्य सरकार के महालेखाकार की सलाह पर इस प्रकार संधारित एवं अंकेक्षित किया जायेगा, एजेंसी के लेखा के आधिपत्य को धारण करने वाला अधिकृत व्यक्ति, निर्धारित तिथी से पूर्व अंकेक्षक के प्रतिवेदन (Auditor's Report) के साथ इस लेखे की अंकेक्षित प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

S.9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद –

(1) घटना की तिथी या घटनाओं की तिथी या अंतिम घटना की तिथी से तीन महीनों के अंदर ऐसी कोई किट स्थापित नही होती है तो कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर हुए लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत आन्तरिक समिति या स्थानीय शिकायत समिति को कर सकती है।

इसके साथ साथ यदि ऐसी शिकायत लिखित में नहीं की जा सकती हो तो पीठासीन अधिकारी, आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, या स्थानीय शिकायत समिति का कोई भी सदस्य जो भी स्थिति हो, उस महिला को जिम्मेवारी पूर्ण सहायता उपलब्ध करायेंगे, जिससे लिखित में शिकायत दर्ज करायी जा सके।

(2) जहाँ पीड़ित महिला अपनी शारीरिक स्थिति या मानसिक अक्षमता या मृत्यु होने या अन्य कारण से शिकायत नहीं कर पाती है तो उसका विधिक उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो भी हो, इस धारा के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है।

S.9 की उपधारा (2) के उद्देय के लिए नियम 6 –

(i) जहां पीड़ित महिला अपनी शारीरिक अक्षमता के आधार पर शिकायत दर्ज करा पाने से असमर्थ है, यह शिकायत –

(a) उसके रिश्तेदार या मित्र या

(b) उसके साथ काम करने वाले या

(स) राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग के किसी अधिकारी द्वारा या

(द) पीड़ित महिला की लिखित सहमति के साथ कोई भी वह व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो शिकायत दर्ज करा सकता है।

(ii) जहां पीड़ित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाती है तो वह शिकायत

(अ) उसके रिश्तेदार या मित्र या

(ब) कोई विशेष शिक्षक या

(स) कोई प्रशिक्षित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक

(द) वह संरक्षक या प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा में वह चिकित्सा लाभ ले रही है या जिसकी देखभाल में रह रही हो या

(य) पीड़ित महिला के रिश्तेदार या मित्र या विशेष शिक्षक या प्रशिक्षित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या सरक्षक या प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसकी देखरेख में वह चिकित्सा या संरक्षण ले रही है, के साथ कोई भी वह व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो, यह शिकायत दर्ज कर सकता है।

(iii) जहॉ पीड़ित महिला किसी भी कारण से यदि अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाती है तो उसकी लिखित सहमति से कोई भी वह व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो शिकायत दर्ज करा सकता है।

(iv) जहॉ पीड़ित महिला की यदि मृत्यु हो गयी हो, तो उसके विधिक उत्तराधिकारी की लिखित सहमति से कोई भी वह व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो शिकायत दर्ज करा सकता है।

S .10 समझौता (सुलह) Conciliation

आन्तरिक समिति या जैसा प्रकरण हो स्थानीय समिति, S .11 (शिकायत पर जॉच) के अन्तर्गत जॉच शुरू करने से पूर्व तथा पीड़ित महिला के निवेदन पर उस महिला एवं प्रतिवादी के बीच समझौते (Conciliation) के माध्यम से मामले का समझौता करने हेतु कदम उठा सकती है। किन्तु इसके साथ ही समझौते (Conciliation) के आधार पर किसी प्रकार का आर्थिक समझौता नहीं होगा।

1. उप खण्ड (1) के अन्तर्गत जहॉ समझौते की स्थिति बनती है, तो आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जैसी भी स्थिति हो समझौते की स्थिति को अपलेखित करेगी तथा विशेषीकृत अनुशंषाओं को नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

1. आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो जैसा अपलेखित हुआ हो समझौते की प्रतियां 34 खण्ड–(2) के अन्तर्गत पीड़ित महिला एवं प्रतिवादी को उपलब्ध करायेगी।

2. जहॉ समझौता उप–खण्ड (1) के अन्तर्गत लाया गया हो आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो, द्वारा कोई आगामी जांच नही की जावेगी।

S .11 शिकायत (परिवाद) के बारे में जॉच

1– S .10 के प्रावधानों के अनुसार, आन्तरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति जो भी हो, जहॉ प्रतिवादी एक कर्मचारी हो, शिकायत के आधार पर प्रतिवादी की सेवा शर्तो के प्रावधानों के अनुसार जॉच की कार्यवाही करेगी तथा जहॉ कोई नियम उपलब्ध नहीं हो उन्हें निर्धारित किया जा सकता है या घरेलू कर्मी के प्रकरण में, यदि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण पाया जाता है तो स्थानीय समिति ऐसे प्रकरण की शिकायत S .509 (भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 45) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करने के लिए 7 दिवस के अन्दर शिकायत पुलिस को अग्रेषित करेगी तथा उक्त संहिता के अनुसार जो उपयुक्त प्रावधान लागू हो कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगी।

इसके अतिरिक्त जहॉ पीड़ित महिला आन्तरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति, जो भी हो, S.10 के उप–खण्ड (2) के अन्तर्गत किन्ही भी नियमों या शर्तों के आधार पर प्रतिवादी के साथ कोई समझौता नही हो पाने के बारे में सूचित करती है, तो आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, महिला की शिकायत पर जांच करने की कार्यवाही या शिकायत पुलिस को अग्रेषित करने की कार्यवाही जो भी हो करेगी।

इसके अतिरिक्त जहॉ दोनो ही पक्ष कर्मचारी हों, जॉच के दौरान दोनो ही पक्षों को सुनने का एक अवसर दिया जावेगा तथा दोनों ही पक्षों को तथ्यों की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी ताकि वे समिति के समक्ष अपना पक्ष/प्रतिवेदन (Representation) प्रस्तुत कर सकें।

2– S .15 (मुआवजे के निर्धारण) के प्रावधान का सम्मान करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा S 509 अन्तर्विष्ट होने के बावजूद भी जब प्रतिवादी को अपराध का दोषी ठहरा दिया गया हो, प्रतिवादी के द्वारा पीड़ित महिला को, जो भी राशि उपयुक्त समझी गई हो, भुगतान करने का आदेश न्यायालय दे सकता है।

3– उप–खण्ड (1) के अन्तर्गत जॉच करने के उद्देश्य के लिए आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो, को दीवानी वाद 1908 की संहिता के अन्तर्गत वही अधिकार प्राप्त होगे जो दीवानी अदालत (Civil Court) में निहित होते है, जबकि वाद को निम्न प्रकरणों के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

a) किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उपस्थित होने की सूचना देना तथा आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए प्रेरित करना तथा शपथ पूर्वक उससे पूछताछ करना।

b) दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण एवं खोज/जॉच की आवश्यकता तथा

c) कोई अन्य मामला जो कि निर्धारित किया गया हो।

4– उप धारा (1) के अन्तर्गत पूछताछ/जॉच का कार्य नब्बे दिनों की समयावधि में पूर्ण करना होगा।

नियम 7 शिकायत पर जॉच (पूछताछ) का तरीका

1. S .11 के प्रावधानों के अनुसार, शिकायत प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता, शिकायत समिति को आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के नाम एवं पते के साथ शिकायत की 6 प्रतियां प्रस्तुत करेंगी।
2. शिकायत प्राप्त होने पर उप नियम (1) के अन्तर्गत पीड़ित महिला से प्राप्त शिकायत की प्रतियों में से, शिकायत समिति, शिकायत की एक प्रति प्रतिवादी को सात (7) कार्य दिवसों में भेजेगी।
3. प्रतिवादी, शिकायत की प्रति प्राप्त होने के दस (10) कार्य दिवसों के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के नाम एवं पत्रों की सूची के साथ शिकायत पर अपना उत्तर उप–नियम (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा।
4. शिकायत समिति, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर शिकायत की जॉच करायेगी।

5. यदि शिकायतकर्ता या प्रतिवादी, समिति के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी जो भी हों के समक्ष बिना उपयुक्त कारण के लगातार तीन सुनवाइयों में स्वंय उपस्थित नहीं होता अथवा होती है तो शिकायत समिति को जॉच की कार्यवाही निरस्त करने अथवा एक तरफा निर्णय करने दोनों का अधिकार होगा।

सम्बधित पक्ष को 15 दिन पूर्व लिखित सूचना दिए बिना समिति ऐसा निरस्तीकरण या एक पक्षीय आदेश पारित नही कर सकती।

6. शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर अपना पक्ष रखने के लिए या प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों पक्षों को कोई वकील लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. जॉच संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष जो भी हों के सहित शिकायत समिति में कम से कम तीन सदस्य उपस्थित रहेंगे।

परिवाद (शिकायत) के बारे में जॉच

S.12 जॉच लम्बित रहने के दौरान की कार्यवाही

1. जॉच लम्बित रहने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित निवेदन पर आन्तरिक समिति

या स्थानीय समिति जो भी हो, नियोक्ता को निम्नानुसार अनुशंसा कर सकती है

a) पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरित करना या

b) पीड़ित महिला को ऐसे ही कुछ अन्य लाभ प्रदान करना जो निर्धारित किए गए हों।

c) पीड़ित महिला को तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत करना या

2. पीड़ित महिला को इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया अवकाश अन्य अवकाशों के अतिरिक्त होगा जिनकी उसे अन्य प्रकार से पात्रता है।

3. उप–धारा (1) के अन्तर्गत आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो की अनुशंसा पर नियोक्ता उप–धारा (1) के अन्तर्गत अनुशंसाओं पर कियान्वयन करेगा तथा कियान्वयन का प्रतिवेदन आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो, को भेजेगा।

नियम 8 शिकायतकर्ता को जॉच लम्बित रहने के दौरान अन्य छूट/लाभ

पीड़ित महिला के लिखित निवेदन पर शिकायत समिति नियोक्ता को निम्नानुसार अनुशंसायें कर सकती है।

a) प्रतिवादी को पीड़ित महिला के कार्य निष्पादन पर या उसके गोपनीय प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने से रोके तथा उसके पश्चात यह कार्य अन्य अधिकारी को सौपें।

b) शैक्षणिक संस्था के प्रकरण में प्रतिवादी को पीड़ित महिला की किसी भी अकादमी गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से रोकना।

S .13 जॉच रिपोर्ट:–

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत जॉच पूर्ण होने पर, आन्तरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति, जो भी हो, अपने निष्कर्षो का प्रतिवेदन, नियोक्ता को या जिला अधिकारी को जो भी हो, को जॉच पूर्ण होने के दस (10) दिनों के अन्दर प्रस्तुत करेगी तथा जॉच एवं जॉच प्रतिवेदन की प्रतियां सम्बन्धित पक्षों को भी उपलब्ध करायेगी।
2. जहॉ आन्तरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति, जो भी हो, इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं, तो यह नियोक्ता एवं जिलाधिकारी को अनुशंसा करेगी कि मामले में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।
3. जहॉ आन्तारेक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो, इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रभाणित हो गए हैं तो समिति नियोक्ता या जिलाधिकारी जो भी हो, को अनुशंसा करेगी कि :–

i) प्रतिवादी के उपर लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न को *कदाचरण* की भॉति तथा जहॉ सेवा नियम नही हों ऐसी स्थिति में लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो भी निर्धारित हो उपयुक्त कार्यवाही की जावे।

ii) प्रतिवादी पर कोई भी सेवा नियम लागू होने के बावजूद S .15 (मुआवजे का निर्धारण) के अनुसार जो भी उपयुक्त राशि निर्धारित की गई हो, प्रतिवादी के वेतन या मजदूरी से काट कर व्यथित महिला या उसके वैध उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाये।

इसके अलावा प्रतिवादी की कार्य पर से अनुपस्थिति या सेवा समाप्ति के कारण यदि नियोक्ता उक्त राशि की कटौती वेतन से नहीं कर पाता है तो प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह सीधे पीड़ित महिला को निर्धारित राशि का भुगतान करे।

पुनः इसके अतिरिक्त यदि प्रतिवादी धारा (ii) में उल्लेखित राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो, उस राशि की वसूली भू–राजस्व के एरियर से भुगतान करने को जिला अधिकारी को अग्रेषित कर सकती है।

4/ नियोक्ता या जिला अधिकारी उन अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथी के 60 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू करेंगे।

नियम–9 लैंगिक उत्पीड़न पर की जा रही कार्यवाही का तरीका

उन प्रकरणों के अलावा जहॉ सेवा नियम उपलब्ध हैं, जहॉ शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हुए हैं तो समिति उसके नियोक्ता या जिलाधिकारी जो भी हो, प्रतिवादी से लिखित माफी मॉगने, चेतावनी जारी करने, निन्दा प्रस्ताव या फटकार लगाना, पदोन्नति रोकना, वेतनवृद्धि रोकना, प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त उसे परामर्श हेतु भेजना, या सामुदायिक सेवा करने की अनुशंसा कर सकती है।

S_.14 मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद एवं मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड

1/ जहॉ आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचती हो कि प्रतिवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप विद्वेषपूर्ण हैं या पीड़ित महिला या शिकायत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने जानकर झूठी शिकायत की है या पीड़ित महिला या किसी अन्य व्यक्ति ने झूठे एवं गुमराह करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो समिति नियोक्ता या जिला अधिकारी जो भी हो, को अनुशंसा कर सकती है कि उस महिला या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध S .9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही करें, जहॉ कोई सेवा नियम नही हैं वहॉ अनुशंसा के आधार पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जावे। इसके साथ ही शिकायत को प्रमाणित कर पाने में असमर्थ होने पर या उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध न करा पाने के आधार पर इस धारा के अन्तर्गत प्रतिवादी के विरूद्ध सीधे कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

आगे पुनः कोई भी कार्यवाही की अनुशंसा करने के पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार जॉच के उपरान्त यह धारणा स्थापित होगी कि शिकायतकर्ता की विद्वेषपूर्ण नियत थी।

2/ जहॉं आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो, कि कोई प्रत्यक्षदर्शी (गवाह) यदि झूठे प्रमाण या कोई जाली या गुमराह करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो समिति उस प्रत्यक्षदर्शी (गवाह) के नियोक्ता या जिला अधिकारी को उसके विरूद्ध लागू सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार तथा जहॉं सेवा नियम उपलब्ध न हों तो जैसा निर्धारित किया गया हो, तदनुसार कार्यवाही की अनुशंसा कर सकती है।

नियम–10

उन प्रकरणों को छोड़कर जहॉं सेवा नियम उपलब्ध हैं, शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप विद्वेषपूर्ण है या पीड़ित महिला या कोई अन्य व्यक्ति जो कि शिकायत दर्ज करा रहा है, जानबूझकर झूठी शिकायत कर रहा है, या पीड़ित महिला या शिकायत करने वाला अन्य कोई व्यक्ति कोई जाली या गुमराह करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, समिति नियम – 9 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की अनुशंसा कर सकती है।

S .15 प्रतिकर का अवधारण

पीड़ित महिला को S .13 के उप खण्ड (3) खण्ड (1) के अंतर्गत मुआवजे की राशि के निर्धारण के उद्देश्य से आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति जो भी हो, निम्न पर विचार करेगी –

a. मानसिक ट्रामा, दर्द, कष्ट एवं मानसिक अवसाद जो पीड़ित महिला को हुआ
b. पीड़ित द्वारा शारीरिक एवं मानसिक उपचार हेतु किया गया चिकित्सीय व्यय
c. प्रतिवादी की आय एवं वित्तीय स्थिति
d. एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान की सुविधा

S .16 परिवाद की अन्तर्वस्तुओं और जॉच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर प्रतिषेध –

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में समाहित जानकारी के बाबजूद, S .9 के अंतर्गत दर्ज शिकायत के अंशों, तथ्यों, पीड़ित महिला या प्रतिवादी या गवाहों की पहचान एवं पते की जॉच की कार्यवाही एवं समझौते से संबंधित कोई भी जानकारी तथा आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो, की अनुशंसाएँ तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को न तो प्रकाशित, संचारित (communicated) किया जायेगा या आम जनता, प्रेस एवं मीडिया को किसी भी प्रकार से सूचित किया जायेगा ।

फिर भी किसी भी लैंगिग उत्पीड़न से पीड़ित महिला प्रतिवादी एवं गवाह के बारे में इस अधिनियम के अंतर्गत बिना नाम, पता, पहचान या उसकी पहचान से संबधित अन्य विवरण को प्रचारित नहीं किया जा सकता है।

नियम – 12– S-16 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड

S-17 के प्रावधानों से संबंधित यदि कोई व्यक्ति S- 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, नियोक्ता ऐसे व्यक्ति से रूपये 5,000/– की वसूली करेगा ।

S .17 परिवाद की अन्तर्वस्तुओं और जॉच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति

जहॉ कोई व्यक्ति जिसे शिकायत दर्ज करने, उस प्रकरण को संभालने, जॉच या अन्य अनुशंसाओं या अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही आदि का दायित्व निर्वहन करता हो या शिकायत से संबंधित कार्य को कर रहा हो, 5.16 के प्रावधानों को उल्लंघन का दोषी हो तो संबंधित व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार व दण्ड पाने का अधिकारी होगा या यदि इस प्रकार के कोई सेवा नियम नहीं हैं तो भी निर्धारित किया जाए।

नियम S .18 अपील

धारा 5.13 की उपधारा (2) के अंतर्गत या 5.13 की उपधारा (3) के के खण्ड (I) के या खण्ड (4) के अंतर्गत या उपधारा (I) या 5.14 या 5.17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या ऐसी अनुशंसाओं का अकियान्वयन आदि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति की गई

अनुशंसाओं से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण (Tribunal) या न्यायालय से अपील प्रस्तुत कर सकता है या जहॉ सेवा नियम उपलब्ध नही है तब बिना पूर्वधारणा या पक्षपात के अस्थाई रूप से लागू कोई अन्य कानून जिसने यह प्रावधान अन्तर्विष्ठ हो, में पीड़ित व्यक्ति निर्धारित प्रकिया के अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

2) उपधारा (1) के अंतर्गत अपील, अनुशंसाओं के 90 दिनों की समयावधि के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी।

नियम 11

5.18 के उपबंधों के आधीन यदि कोई व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (1) या खण्ड (2) के अंतर्गत उपधारा (2)या धारा 47 के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं से या उन अनुशंसाओं के अकियान्वयन से पीड़ित है, औद्यौगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा (2) खण्ड (क) के अंतर्गत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

S .19 नियोजक के कर्तव्य

क प्रत्येक नियोक्ता कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध करायेगा जिसमें कार्यस्थल पर संपर्क के लिए अच्छे लोगों का आना सम्मिलित है।

ख. लैंगिक उत्पीड़न के दाण्डिक परिणाम और धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन ऑतरिक परिवाद समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

ग. अधिनियमों के प्रावधानों के साथ कर्मचारियों के लिए नियमित अन्तराल पर कार्यशालायें एवं जनजागृति कार्यक्रम तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा।

ध. आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो के द्वारा शिकायतों से संबंधित कार्यवाहियों एवं जांच सम्पन्न करने हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

ङ आन्तरिक समिति का स्थानीय समिति शिकायत समिति जो भी हो, के समक्ष प्रतिवादियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों (गवाहों) की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करायेगा।

च धारा 5.0 की उपधारा (1) के अंतर्गत की गई शिकायत के संबंध में आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो को यह जानकारी उपलब्ध करायेगी।

छ. धारा 5.9 की उपधारा (1) के अंतर्गत की गई शिकायत के संबंध में आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो, को यह जानकारी उपलब्ध करायेगी।

ज. प्रत्येक नियोक्ता, भारतीय दण्ड संहिता या अन्य लागू कानूनों के आधार पर उस अपराधी, जो उनका कर्मचारी नहीं है के विरूद्ध विधि के अधीन कार्यवाही की शुरूआत कर सकता है, जहॉ कि लैंगिक उत्पीड़न की घटना घटी हो ।

झ. लैंगिक उत्पीड़न की घटना को सेवा नियमों के अन्तर्गत माना जावे तथा ऐसे कदाचरण के लिए कार्यवाही की जावे ।

ञ. आन्तरिक समिति द्वारा रिर्पोटों को समय पर प्रस्तुत किये जाने को मानीटर करेगा

S .20 जिला अधिकारी के कर्तव्य और शास्तियॉ

जिला अधिकारी

a. स्थानीय समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदनों के समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी करेगे।

b. लैंगिक उत्पीड़न एवं महिलाओं के अधिकारों के सृजन के लिए अशासकीय संगठनों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगें।

S .21 समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

1) आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति, जो भी हो, प्रत्येक वर्ष जैसा निर्धारित किया गया हो एक निशिचित रूप एवं निशिचित समय पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा उसे नियोक्ता या जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन पर जिलाधिकारी एक संक्षेप प्रतिवदेन राज्य सरकार को अग्रेषित करेंगे।

नियम –14 वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना

S .21 के अंतर्गत शिकायत समिति एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्न विवरण होगा

a. उस वर्ष में लैंगिक, उत्पीड़न पर प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या

b. उस वर्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या

c. 90 दिनों से अधिक अवधि में लम्बित प्रकरणों की संख्या

d. लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध आयोजित कार्यशालाओं एवं जनजागृति कार्यक्रमों की संख्या

e. नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रकृति।

S 22 वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक द्वारा जानकारी का सम्मिलित किया जाना

नियोक्ता अपने प्रतिवेदन में दर्ज हुए प्रकरणों की संख्या, यदि कोई है, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उनके संगठन में निपटाए गये प्रकरण जहॉ यदि कोई प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता नही है तो ऐसे प्रकरणों की संख्या जिला अधिकारी को सूचित करें।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और डाटा रखा जाना —

समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी और कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाईल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित डाटा रखेगी ।

24. समुचित सरकार अधिनियम को प्रचारित करने के उपाय करेगी—

समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन,–

(क) महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण के लिये उपबन्ध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों का जनता को बोध कराने के लिये सुसंगत जानकारी, शिक्षा, संसूचना एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास एवं जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिये अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बना सकेगी।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति— (1) समुचित सरकार यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,–

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना प्रस्तुत करने की माग कर सकेगी, जो उसे अपेक्षित हो;

(ख) किसी भी अधिकारी को लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसे ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में की ऐसी सभी सूचना, अभिलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय--वस्तु को प्रमावित्त करते है।

<u>S .26 अधिनियम के प्रावधानों पर कार्यवाही न करने के लिए दण्ड(उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति)</u>

1) जहॉ कि कोई नियोजक असफल रहता है :--

क 5.4 के उपधारा (1) के अंतर्गत आन्तरिक समिति के गठन में

ख धारा 13,14, एवं 22 के अंतर्गत कार्यवाही करने में

ग इस अधिनियम या अन्य उपबंधों के अंतर्गत बनाए किसी अन्य नियम के प्रावाधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंधन करने का प्रयास करता है, तो उसे 50,000/- तक के जुर्माने का दण्ड दिया जा सकेगा।

(अ) यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का पहले भी दोषी पाया गया हो तथा उसने उसी प्रकार का अपराध पुनः किया हो तो उसे--

(ब) उसी अपराध के लिए किए गए अधिकतम जुर्माने की स्थिति में दण्ड पहले दोषी होने पर दिया गया था उससे दोगुना दण्ड क्योंकि जिस अपराध के लिए दोषी को Procecute किया जा रहा है उसके लिए किसी अन्य अस्थाई रूप से लागू कानून द्वारा यदि अधिकत्तम दण्ड निर्धारित किया गया हो तो न्यायालय दण्ड देते समय उसे भी संज्ञान में लेगा ।

b. सरकार या स्थानीय प्राधिकरण उसकी व्यवसायिक गतिविधि को जारी रखने के लिए आवश्यक अनुशंसा Licence का निरस्तीकरण या उसे वापस लेना या उसका नवीनीकरण न करना पंजीयन की अनुमति को निरस्त करना जो भी हो, की कार्यवाही करेंगे।

S .27 न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान

1) कोई भी अदालत पीड़ित महिला या इस संबंध में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर बचाने के लिए इस अधिनियम के तहत दण्डनीय किसी अपराध या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम का संज्ञान नहीं लेगा।

2) इस अधिनियम के तहत दण्डनीय किसी भी अपराध की न्यायिक जांच एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई अदालत नही करेगी।

3) इस अधिनियम के तहत सभी अपराध असंज्ञान होगे।

28 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना--अधिनियम के उपबंध,तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे,न कि उनके अल्पीकरण में।

29 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार , अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियम बना सकेगी।

S .30 कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति--

यह अधिकार केन्द्र सरकार के पास है।

शाकेमुभो--494--मसमप्र--26-11-15--200.